# <u>समझौता ज्ञापन</u>

यह समझौता ज्ञापन (इसके पश्चात एमओयू)

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

और

बिहार सरकार

तथा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

के बीच

दिनांक 14 जुलाई, 2017 को पटना में निष्पादित किया गया।

''बिहार सरकार'',''नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार'' और ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण'' को संयुक्त रूप से ''पार्टियां'' तथा व्यक्तिगत रूप से ''पार्टी''कहा जाएगा।

1. **परिभाषाएं- एमओयू में प्रयोग की गई शब्दावली का वही अर्थ है जैसा कि उसे नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान में परिभाषित किया गया है।**
2. **क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान**

2.1 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 (एनसीएपी 2016) जारी की है। एनसीएपी 2016 के दो प्रमुख उद्देश्य हैं ''राजकोषीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाना'' तथा ''एकीकृत इको-प्रणाली स्थापित करना जिससे नागर विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा, बदले में जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार वृद्धि करेगा तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करेगा''। इस संबंध में, नागर विमानन मंत्रालय ने देश के लिए क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस अथवा योजना) की संकल्पना की है।

2.2 योजना का प्राथमिक उद्देश्य (1) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायत और (2) ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत और अनुमानित राजस्व के बीचे के अंतर, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर निधीयन या वीजीएफ) सहायता के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों को सहायता प्रदान करते हुए इसे वहनीय बना कर वायु संपर्कता को सुविधाजनक/प्रोत्साहित करना है।

2.3 जैसा कि एनसीएपी 2016 में प्रदान किया गया है,वीजीएफ का भुगतान कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा हितग्राहियों, अर्थात चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों को क्षेत्रीय संपर्कता निधि (आरसीएफ) से किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को लागू हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा।

2.4 योजना में रियायतें सृजित करने तथा वीजीएफ की अपनी लागू हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करने के संदर्भमें राज्य सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

2.5 योजना को केवल उन राज्यों तथा हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों (चाहे वे एएआई/राज्य सरकारों/निजी कंपनियों/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकारके स्वामित्व में हैं) में प्रचालनात्मक बनाया जाएगा जिन्होंने अपनी वचनबद्धता दर्शायी है तथा योजना के अंतर्गत अपेक्षित रियायतें प्रदान करते हुए रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों का समर्थन किया है।

2.6 योजना के अंतर्गत निधियों को एकत्र करने तथा उनका वितरण करने, वीजीएफ की उनकी हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकारोंसे प्रतिपूर्ति प्राप्त करनेकी प्रक्रिया का प्रबंधन करने और आरसीएफ में आय की प्रतिपूर्ति जमा करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी की होगी।

अब इसलिए यह समझौता ज्ञापन निम्नानुसारहै :

3. **एमओयू का उद्देश्य**

3.1 सभी पार्टियां योजना के संवर्धन में प्रयास एवं सहायता करेंगी तथा इसे सफल बनाएंगी।

3.2 पार्टियां अपनी वचनबद्धता को पूरा करेंगी आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों की सहायता करेंगी।

3.3 राज्य सरकार आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित वीजीएफ के लिए अपनी समयबद्ध और सम्पूर्ण प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगी।

3.4 सभी पार्टियां सहभागिता बढ़ाने तथा योजना के अंतर्गत समयबद्ध प्रचालन आरंभ करने के लिए आसान और तवरित अनुमोदन प्रदान करने में सभी संभव प्रयास करेंगी।

3.5 पार्टियां योजना के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

3.6 पार्टियां नेकनीयती के साथ एमओयूके अंतर्गत अपनी-अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करेंगी।

3.7 इस एमओयू में आरसीएस-उड़ान के अनुसार क्षेत्रीय वायु संपर्कता को बढ़ाने के संबंध में पार्टियों के सहयोग और प्रतिबद्धता/सहायता के क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

## 4. एमओयू का कार्यक्षेत्र

4.1 एनसीएपी 2016 में की गई परिकल्पना के अनुसार, योजना का प्रचालन बाजार तंत्र के अनुसार होगा जहां एयरलाइन प्रचालक मार्गों पर मांग का मूल्यांकन करेंगे;ऐसे मार्ग (र्गो) पर प्रचालन/ संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे; कुछ न्यूनतम प्रचालन शर्तो का पालन करते हुए वीजीएफ, यदि कोई है, की मांग करेंगे;और योजना के यथा प्रदत्त अन्य बाजार सहभागियों के साथ बातचीत कर इसे अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। चयनित एयरलाइन प्रचालक को योजना के अंतर्गत प्रचालन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से रियायतें और समर्थन दिया जाएगा।

4.2 पार्टियां अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगी तथा निम्नानुसार योजना के अंतर्गत रियायतें/सहायता प्रदान करेंगी :

4.2.1 केंद्र सरकार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से योजना का प्रबंध करेगी तथा निम्नलिखित सहायता/रियायतें प्रदान करेगी :

क. केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत वीजीएफ का अपना हिस्सा प्रदान करेगी जो पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा राज्यों की कुल आवश्यकता का 80% होगा जबकि वहां के लिए यह 90% होगा।

ख. केंद्र सरकार योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से चयनित एयरलाइन प्रचालक द्वारा खरीदे गए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क की वसूली करेगी।

ग. केंद्र सरकार टिकटों पर सेवाकर पर रियायतें प्रदान करेगी अर्थात, योजना की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्षकी आरंभिक अवधि के लिए करयोग्य मूल्य के 90% पर सेवाकर का उपशमन।

4.2.2 राज्य सरकार निम्नलिखित रियायतें प्रदान करेगी :-

क. राज्य सरकार 10 वर्षों की अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ में वैट को 1% अथवा कम करने पर विचार करेगी;

ख. राज्य सरकार आवश्यक होने पर प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य की वर्तमान नीति के आधार पर उचित विचार करने के बाद आरसीएस हवाईअड्डों के विकास और विस्तार के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त न्यूनतम भूमि प्रदान

करेगी। राज्य सरकार जरूरत के अनुसार बहु मॉडल हिनटरलैंड संपर्कता (सड़क, रेल, मेट्रो, जलमार्ग आदि) भी उपलब्ध कराएगी;

ग. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर नि:शुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं भी प्रदान करेगी;

घ. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर रियायती दरों पर बिजली, पानी तथा अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करेगी अथवा प्रदान कराएगी; और

ङ. राज्य सरकार इस योजना के अनुसार निर्धारित वीजीएफ के लिए यथा लागू (अन्य राज्यों के लिए 20% तथा पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 10% होगा)एक निश्चित हिस्सेदारी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मांग किए जाने के 3 माह के भीतर राज्य सरकार अपने वीजीएफ हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिसभेजा जाएगा जिसमें नोटिस भेजने के 1 माह के भीतर प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा न किए जाने पर, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

च. राज्य सरकार को एनसीएपी, 2016 में दिए अनुसार रियायतें जारी रखने की आवश्यकता होगी। योजना की अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार रियायतें प्रदान करना रोक देती है, उसे तत्काल रियायतें शुरू करना अनिवार्य है। यदि बंद कर देने के 1 माह के भीतर रियायतें शुरू नहीं की जाती हैं, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

छ. यदि भविष्य में केंद्र सरकार आरसीएस के अंतर्गत वीजीएफ में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ा देती है तो राज्य को व्यवस्था से अलग होने का अधिकार प्राप्त है।

4.2.3 कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के दायित्व

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से योजना के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होने के नाते एएआई, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :

क. एयरलाइन प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव स्वीकार करना तथा योजना के अनुरूप एयरलाइन प्रचालक के चयन हेतु पहचान करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करना;

ख. निधियों का संग्रहण और वितरण - योजना के अंतर्गत निधियों के संग्रहण और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस प्रयोजन के लिए पहचान किए गए बैंक

के साथ एक एस्क्रो खाता खोला जाएगा।कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी एस्क्रो खाते का प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत होगी और इसके पास इस योजना के अनुसार चयनित एयरलाइन प्रचालकों के लिए वीजीएफ के वितरण के लिए एस्क्रो खाते से निधियों में राशि जमा के साथ-साथ आहरण करने का प्राधिकार होगा।

ग. राज्य सरकार के उचित हिस्से की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का प्रबंध करना - एनसीएपी,2016 में दिए अनुसार,वीजीएफ का भुगतान आरसीएफ से चयनित एयरलाइन प्रचालकों को किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को उचित हिस्से (पूर्वोत्तर राज्योंऔर संघ शासित क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों में 20%जबकि वहां यह अनुपात 10% होगा) की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी प्रतिपूर्ति मांगने की इस प्रक्रिया का प्रबंध करेगी तथा प्रतिपूर्ति आय को एसक्रो खाते में जमा करेगी; और

घ. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए यथा निर्देशित कोई अन्य गतिविधियां।

4.3 एमओयू के अंतर्गत दायित्वों/रियायतों/सहायता का नियंत्रण योजना के अंतर्गत उल्लिखित आवश्यकताओं द्वारा किया जाएगा तथा योजना में संशोधनों के आधार पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

## 5. प्रारंभ और अवधि

5.1 एमओयू हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा तथा योजना की अवधि के पूरा होने तक वैध रहेगा अथवा इसके समाप्त करने के परस्पर करार से समाप्त होगा।

## 6. विविध

6.1 वैट/सेवा कर/उत्पाद शुल्क आदि योजना की अवधि और वीजीएफ सहायता की अवधि के दौरान यथा लागू प्रचलित कर व्यवस्था के अधीन होंगे। जीएसटी में परिवर्तनकाल के समय, दरें जीएसटी के अंतर्गत निर्धारण के अनुसार लागू होंगी तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा छूट/रियायतें केवल कानून के अंतर्गत दी जाएंगी।

6.2 प्रत्येक पार्टी अन्य पार्टियों को ऐसे सभी मामलों के बारे में सूचित करेगी, जो एमओयू के अंतर्गत पार्टियों के बीच विचारित अभिप्रेत सहयोग के कार्यान्वयनन तथा निष्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

## 7. विधिक प्रणाली और मतभेदों का निपटान करना

7.1 ज्ञापन हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए किसी प्रकार का अिधकार अथवा किसी प्रकार का विधिक बाध्यकारी दायित्व जनित नहीं करता है।

7.2 हस्ताक्षरकर्ता उन मतभेदों का परामर्श के द्वारा सहयोग और मित्रता की भावना से निपटान करेंगे जो इस ज्ञापन के उपयोग से उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके साक्षी, पार्टियों को यह ज्ञापन तीन (3) भागों में निष्पादित करना होगा तथा प्रत्येक भाग को उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मूल के तौर पर माना जाएगा।

द्वारा हस्ताक्षरित :

हस्ता/-
**(उषा पाढ़ी)**
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

हस्ता/-
**(ब्रिजेश महरोत्रा)**
प्रमुख सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार सरकार

हस्ता/-
**(डॉ. गुरूप्रसाद महापात्रा)**
अध्यक्ष
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

**<u>समझौता ज्ञापन</u>**

यह समझौता ज्ञापन (यहां इसके पश्चात ''एमओयू'' कहा जाए)

भारत के राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, जिनका कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली में है, के माध्यम से (यहां इसके पश्चात नागर विमानन मंत्रालय कहा जाएगा), जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके आशय में उनके परवर्ती और पहले पक्ष के वारिस शामिल होंगे;

**और**

सिक्किम के राज्यपाल, पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग, सिक्किम सरकार में सचिव, जिनका कार्यालय गंगटोक में है (यहां इसके पश्चात नागर विमानन मंत्रालय कहा जाएगा), जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके आशय में उनके परवर्ती और दूसरे पक्ष के वारिस शामिल होंगे;

**और**

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जिनका कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली में है (यहां इसके पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) कहा जाएगा), जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके आशय में उनके परवर्ती और तीसरे पक्ष के वारिस शामिल होंगे,

के बीच दिनांक 5 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में निष्पादित किया गया।

**और**

**जबकि** इस समझौता ज्ञापन में प्रयुक्त शब्दों का आशय वही होगा जैसा कि नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना उड़ान में परिभाषित किया गया है

**और**

**जबकि** नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, जिसे यहां इसके पश्चात 'मंत्रालय' कहा गया है, ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 (एनसीएपी 2016) जारी की है। एनसीएपी 2016 के दो प्रमुख उद्देश्य हैं ''राजकोषीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाना'' तथा ''एकीकृत इको-प्रणाली स्थापित करना जिससे नागर विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

होगा,बदले में जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार वृद्धि करेगा तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करेगा"। इस संबंध में, नागर विमानन मंत्रालय ने देश के लिए क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस अथवा योजना) की संकल्पना की है।

**और जबकि,** योजना का प्राथमिक उद्देश्य (1) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत को कम करने के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायत और (2) ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत और अनुमानित राजस्व के बीचे के अंतर, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर निधीयन या वीजीएफ) सहायता के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों को सहायता प्रदान करते हुए इसे वहनीय बना कर वायु संपर्कता को सुविधाजनक/प्रोत्साहित करना है।

**और जबकि,** जैसा कि एनसीएपी 2016 में प्रदान किया गया है, वीजीएफ का भुगतान कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा हितग्राहियों, अर्थात चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों को क्षेत्रीय संपर्कता निधि (आरसीएफ) से किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को लागू हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा।

**और जबकि,** योजना में रियायतें सृजित करने तथा वीजीएफ की अपनी लागू हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करने के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

**और जबकि,** योजना को केवल उन राज्यों तथा हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों (चाहे वे एएआई/राज्य सरकारों/निजी कंपनियों/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में हैं) में प्रचालनात्मक बनाया जाएगा जिन्होंने अपनी वचनबद्धता दर्शायी है तथा योजना के अंतर्गत अपेक्षित रियायतें प्रदान करते हुए रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों का समर्थन किया है।

**और जबकि,** योजना के अंतर्गत निधियों को एकत्र करने तथा उनका वितरण करने, वीजीएफ की उनकी हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करने और आरसीएफ में आय की प्रतिपूर्ति जमा करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी की होगी।

**अब इसलिए यह समझौता ज्ञापन निम्नानुसारहै :**

**1. एमओयू का उद्देश्य**

1.1. सभी पार्टियां योजना के संवर्धन में प्रयास एवं सहायता करेंगी तथा इसे सफल बनाएंगी।

1.2. पार्टियां अपनी वचनबद्धता को पूरा करेंगी आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों की सहायता करेंगी।

1.3. राज्य सरकार आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित वीजीएफ के लिए अपनी समयबद्ध और सम्पूर्ण प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगी।

1.4. सभी पार्टियां सहभागिता बढ़ाने तथा योजना के अंतर्गत समयबद्ध प्रचालन आरंभ करने के लिए आसान और तवरित अनुमोदन प्रदान करने में सभी संभव प्रयास करेंगी।

1.5. पार्टियां योजना के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

1.6. पार्टियां नेकनीयती के साथ एमओयूके अंतर्गत अपनी-अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करेंगी।

1.7. इस एमओयू में आरसीएस-उड़ान के अनुसार क्षेत्रीय वायु संपर्कता को बढ़ाने के संबंध में पार्टियों के सहयोग और प्रतिबद्धता/सहायता के क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

**2. एमओयू का कार्यक्षेत्र**

2.1. एनसीएपी 2016 में की गई परिकल्पना के अनुसार, योजना का प्रचालन बाजार तंत्र के अनुसार होगा जहां एयरलाइन प्रचालक मार्गों पर मांग का मूल्यांकन करेंगे; ऐसे मार्ग (र्गों) पर प्रचालन/ संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे; कुछ न्यूनतम प्रचालन शर्तो का पालन करते हुए वीजीएफ, यदि कोई है, की मांग करेंगे; और योजना के यथा प्रदत्त अन्य बाजार सहभागियों के साथ बातचीत कर इसे अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। चयनित एयरलाइन प्रचालक को योजना के अंतर्गत प्रचालन करने के लिए केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से रियायतें और समर्थन दिया जाएगा।

2.2. पार्टियां अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगी तथा निम्नानुसार योजना के अंतर्गत रियायतें/सहायता प्रदान करेंगी :

2.2.1. केंद्रीय सरकार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से योजना का प्रबंध करेगी तथा निम्नलिखित सहायता/रियायतें प्रदान करेगी

क. केंद्रीय सरकार योजना के अंतर्गत वीजीएफ का अपना हिस्सा प्रदान करेगी जो पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों, जहां के लिए यह 90% होगा, के अलावा राज्यों की कुल आवश्यकता का 80% होगा, जबकि वहां के लिए यह 90% होगा।

ख. केंद्रीय सरकार योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से चयनित एयरलाइन प्रचालक द्वारा खरीदे गए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क की वसूली करेगी।

ग. केंद्रीय सरकार चयनित एयरलाइन प्रचालकों को घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ विद्यमान हवाई सेवा करारों के अनुसार कोड शेयरिंग करार करने के लिए अनुमति प्रदान करेगी।

घ. केंद्रीय सरकार टिकटों पर सेवाकर पर रियायतें अर्थात, योजना की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए करयोग्य मूल्य के 90% पर सेवाकर का उपशमन प्रदान करेगी।

2.2.2. राज्य सरकार निम्नलिखित रियायतें प्रदान करेगी :-

क. राज्य सरकार 10 वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) हवाईअड्डों पर और 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए राज्य के भीतर स्थित अन्य हवाईअड्डों से क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) के लिए एटीएफ में वैट को 1% अथवा इससे कम करने पर विचार करेगी;

ख. राज्य सरकार आवश्यक होने पर प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य की वर्तमान नीति के आधार पर उचित विचार करने के बाद आरसीएस हवाईअड्डों के विकास और विस्तार के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त न्यूनतम भूमि प्रदान करेगी। राज्य सरकार जरूरत के अनुसार बहु मॉडल हिनटरलैंड संपर्कता (सड़क, रेल, मेट्रो, जलमार्ग आदि) भी उपलब्ध कराने पर सहमत है;

ग. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर नि:शुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं भी प्रदान करने पर सहमत है;

घ. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर रियायती दरों पर बिजली, पानी तथा अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करेगी अथवा प्रदान करने पर सहमत है; और

ङ. राज्य सरकार इस योजना के अनुसार निर्धारित वीजीएफ के लिए यथा लागू (अन्य राज्यों के लिए 20% तथा पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 10% होगा) एक निश्चित हिस्सेदारी प्रदान करने पर सहमत है। केंद्रीय सरकार द्वारा मांग किए जाने के 3 (तीन) माह के भीतर राज्य सरकार अपने वीजीएफ हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें नोटिस भेजने के 1 (एक) माह के भीतर प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा न किए जाने पर, केंद्रीय सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी। तथापि, अधित्याग हेतु अनुरोध के लंबित रहने

के कारण, सिक्किम सरकार अपनी 10% वीजीएफ हिस्सेदारी का अधित्याग करने का अनुरोध निरंतर कर रही है।

च. राज्य सरकार को एनसीएपी, 2016 और योजना दस्तावेज में दिए अनुसार रियायतें प्रदान करने पर सहमत है। योजना की अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार रियायतें प्रदान करना रोक देती है, उनके द्वारा तत्काल रियायतें बहाल करना अपेक्षित है। यदि बंद कर देने के 1 माह के भीतर रियायतें शुरू नहीं की जाती हैं, केंद्रीय सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

2.2.3. कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के दायित्व

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से योजना के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होने के नाते एएआई, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :

क एयरलाइन प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव स्वीकार करना तथा योजना के अनुरूप एयरलाइन प्रचालक के चयन हेतु पहचान करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करना;

ख निधियों का संग्रहण और वितरण - योजना के अंतर्गत निधियों के संग्रहण और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस प्रयोजन के लिए पहचान किए गए बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोला जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी एस्क्रो खाते का प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत होगी और इसके पास इस योजना के अनुसार चयनित एयरलाइन प्रचालकों के लिए वीजीएफ के वितरण के लिए एस्क्रो खाते से निधियों में राशि जमा के साथ-साथ आहरण करने का प्राधिकार होगा।

ग राज्य सरकार के उचित हिस्से की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का प्रबंध करना - एनसीएपी,2016 में दिए अनुसार, वीजीएफ का भुगतान आरसीएफ से चयनित एयरलाइन प्रचालकों को किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को उचित हिस्से (पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों में 20% जबकि वहां यह अनुपात 10% होगा) की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी प्रतिपूर्ति मांगने की इस प्रक्रिया का प्रबंध करेगी तथा प्रतिपूर्ति आय को एसक्रो खाते में जमा करेगी; और

घ नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए यथा निर्देशित कोई अन्य गतिविधियां।

2.3. एमओयू के अंतर्गत दायित्वों/रियायतों/सहायता का नियंत्रण योजना के अंतर्गत उल्लिखित आवश्यकताओं द्वारा किया जाएगा तथा योजना में संशोधनों के आधार पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

**3. प्रारंभ और अवधियां**

3.1 एमओयू हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा तथा योजना की अवधि के पूरा होने तक वैध रहेगा अथवा इसके समाप्त करने के परस्पर करार से समाप्त होगा।

**4. विविध**

4.1. वैट या सेवा कर या उत्पाद शुल्क आदि पर उपर्युक्त रियायतें योजना की अवधि और वीजीएफ सहायता की अवधि के दौरान यथा लागू प्रचलित कर व्यवस्था के अधीन होंगे। जीएसटी में परिवर्तनकाल के समय, दरें जीएसटी के अंतर्गत निर्धारण के अनुसार लागू होंगी तथा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा छूट/रियायतें केवल कानून के अंतर्गत दी जाएंगी।

4.2. प्रत्येक पक्षकार अन्य पार्टियों को ऐसे सभी मामलों के बारे में सूचित रखेगा, जो एमओयू के अंतर्गत पार्टियों के बीच विचारित अभिप्रेत सहयोग के कार्यान्वयनन तथा निष्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

4.3. राज्य सरकार के पास लोकहित में इस करार को सीमित, रद्द, निरस्त करने का अधिकार आरक्षित है।

4.4. करार की शर्तों में किसी संशोधन, परिवर्तन, आशोधन की स्थिति में, इसे दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से पूरा किया जाएगा।

**5. विधिक प्रणाली और मतभेदों का निपटान करना**

5.1. इस करार की व्याख्या, नियमों और शर्तों और कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, पक्षकार मामले का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे। तथापि, राज्य सरकार ने उल्लेख किया है कि मामले का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान न हो पाने की स्थिति में, पक्षकारों को अधिमानत: गंगटोक में अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर उपयुक्त मंच पर उपयुक्त समाधान के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता होगी।

6. समझौता ज्ञापन की संविदागत अवधि 10 वर्ष के लिए होगी, जो पक्षकारों के बीच होने वाले पारस्परिक समझौते के अनुसार शर्तों के नवीकरण या विस्तार के अध्यधीन होगी।

**इसके साक्ष्यस्परूप**, पक्षकारों ने इस समझौता ज्ञापन को 3 (तीन) भागों में निष्पादित किया है और प्रत्येक भाग को उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मूल माना जाएगा।

द्वारा हस्ताक्षरित :

हस्ता/-
(**उषा पाढ़ी)**
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय
कृते और भारत के राष्ट्रपति की ओर से

हस्ता/-
**(पुनीत कंसल)**
सचिव, पर्यटन और नागर विमानन
सिक्किम सरकार
सिक्किम सरकार की ओर से

हस्ता/-
**(सुधीर रहेजा)**
सदस्य (योजना)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

# <u>समझौता ज्ञापन</u>

यह समझौता ज्ञापन (इसके पश्चात एमओयू)

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

और

त्रिपुरा सरकार

तथा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

के बीच

दिनांक 6दिसंबर, 2017 को पटना में निष्पादित किया गया।

''त्रिपुरा सरकार'',''नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार'' और ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण'' को संयुक्त रूप से ''पार्टियां'' तथा व्यक्तिगत रूप से ''पार्टी'' कहा जाएगा।

1. **परिभाषाएं- एमओयू में प्रयोग की गई शब्दावली का वही अर्थ है जैसा कि उसे नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान में परिभाषित किया गया है।**
2. **क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान**

2.1 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 (एनसीएपी 2016) जारी की है। एनसीएपी 2016 के दो प्रमुख उद्देश्य हैं ''राजकोषीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाना'' तथा ''एकीकृत इको-प्रणाली स्थापित करना जिससे नागर विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा, बदले में जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार वृद्धि करेगा तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करेगा''। इस संबंध में, नागर विमानन मंत्रालय ने देश के लिए क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस अथवा योजना) की संकल्पना की है।

2.2 योजना का प्राथमिक उद्देश्य (1) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायत और (2) ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत और अनुमानित राजस्व के बीचे के अंतर, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर निधीयन या वीजीएफ) सहायता के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों को सहायता

प्रदान करते हुए इसे वहनीय बना कर वायु संपर्कता को सुविधाजनक/प्रोत्साहित करना है।

2.3 जैसा कि एनसीएपी 2016 में प्रदान किया गया है, वीजीएफ का भुगतान कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा हितग्राहियों, अर्थात चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों को क्षेत्रीय संपर्कता निधि (आरसीएफ) से किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को लागू हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा।

2.4 योजना में रियायतें सृजित करने तथा वीजीएफ की अपनी लागू हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करने के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

2.5 योजना को केवल उन राज्यों तथा हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों (चाहे वे एएआई/राज्य सरकारों/निजी कंपनियों/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में हैं) में प्रचालनात्मक बनाया जाएगा जिन्होंने अपनी वचनबद्धता दर्शायी है तथा योजना के अंतर्गत अपेक्षित रियायतें प्रदान करते हुए रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों का समर्थन किया है।

2.6 योजना के अंतर्गत निधियों को एकत्र करने तथा उनका वितरण करने, वीजीएफ की उनकी हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करने और आरसीएफ में आय की प्रतिपूर्ति जमा करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी की होगी।

अब इसलिए यह समझौता ज्ञापन निम्नानुसारहै :

**3. एमओयू का उद्देश्य**

3.1 सभी पार्टियां योजना के संवर्धन में प्रयास एवं सहायता करेंगी तथा इसे सफल बनाएंगी।

3.2 पार्टियां अपनी वचनबद्धता को पूरा करेंगी आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों की सहायता करेंगी।

3.3 राज्य सरकार आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित वीजीएफ के लिए अपनी समयबद्ध और सम्पूर्ण प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगी।

3.4 सभी पार्टियां सहभागिता बढ़ाने तथा योजना के अंतर्गत समयबद्ध प्रचालन आरंभ करने के लिए आसान और तवरित अनुमोदन प्रदान करने में सभी संभव प्रयास करेंगी।

3.5 पार्टियां योजना के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

3.6 पार्टियां नेकनीयती के साथ एमओयूके अंतर्गत अपनी-अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करेंगी।

3.7 इस एमओयू में आरसीएस-उड़ान के अनुसार क्षेत्रीय वायु संपर्कता को बढ़ाने के संबंध में पार्टियों के सहयोग और प्रतिबद्धता/सहायता के क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

**4. एमओयू का कार्यक्षेत्र**

4.1 एनसीएपी 2016 में की गई परिकल्पना के अनुसार, योजना का प्रचालन बाजार तंत्र के अनुसार होगा जहां एयरलाइन प्रचालक मार्गों पर मांग का मूल्यांकन करेंगे; ऐसे मार्ग (र्गों) पर प्रचालन/ संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे; कुछ न्यूनतम प्रचालन शर्तो का पालन करते हुए वीजीएफ, यदि कोई है, की मांग करेंगे; और योजना के यथा प्रदत्त अन्य बाजार सहभागियों के साथ बातचीत कर इसे अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। चयनित एयरलाइन प्रचालक को योजना के अंतर्गत प्रचालन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से रियायतें और समर्थन दिया जाएगा।

4.2 पार्टियां अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगी तथा निम्नानुसार योजना के अंतर्गत रियायतें/सहायता प्रदान करेंगी :

4.2.1 केंद्र सरकार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से योजना का प्रबंध करेगी तथा निम्नलिखित सहायता/रियायतें प्रदान करेगी :

क. केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत वीजीएफ का अपना हिस्सा प्रदान करेगी जो पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा राज्यों की कुल आवश्यकता का 80% होगा जबकि वहां के लिए यह 90% होगा।

ख. केंद्र सरकार योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से चयनित एयरलाइन प्रचालक द्वारा खरीदे गए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क की वसूली करेगी।

ग. केन्द्रीय सरकार घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ विद्यमान विमान सेवा करारों के अुनसार कोड शेयरिंग व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए चुनिंदा एयरलाइन प्रचालकों को अनुमति प्रदान करेगी।

घ. केंद्र सरकार टिकटों पर सेवाकर पर रियायतें प्रदान करेगी अर्थात, योजना की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्षकी आरंभिक अवधि के लिए करयोग्य मूल्य के 90% पर सेवाकर का उपशमन।

4.2.2 राज्य सरकार निम्नलिखित रियायतें प्रदान करेगी :-

क. राज्य सरकार 10 वर्षों की अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ में वैट को 1% अथवा कम करने पर विचार करेगी;

ख. राज्य सरकार आवश्यक होने पर प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य की वर्तमान नीति के आधार पर उचित विचार करने के बाद आरसीएस हवाईअड्डों के विकास और विस्तार के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त न्यूनतम भूमि प्रदान करेगी। राज्य सरकार जरूरत के अनुसार बहु मॉडल हिनटरलैंड संपर्कता (सड़क, रेल, मेट्रो, जलमार्ग आदि) भी उपलब्ध कराएगी;

ग. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर नि:शुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं भी प्रदान करेगी;

घ. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर रियायती दरों पर बिजली, पानी तथा अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करेगी अथवा प्रदान कराएगी; और

ङ. राज्य सरकार इस योजना के अनुसार निर्धारित वीजीएफ के लिए यथा लागू (अन्य राज्यों के लिए 20% तथा पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 10% होगा) एक निश्चित हिस्सेदारी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मांग किए जाने के 3 माह के भीतर राज्य सरकार अपने वीजीएफ हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें नोटिस भेजने के 1 माह के भीतर प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा न किए जाने पर, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

च. राज्य सरकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही प्रोत्साहन राशि से बढ़कर सीटों के निम्नांकन सहित अतिरिक्त प्रओत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है।

छ. राज्य सरकार को एनसीएपी, 2016 में दिए अनुसार रियायतें जारी रखने की आवश्यकता होगी। योजना की अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार रियायतें प्रदान करना रोक देती है, उसे तत्काल रियायतें शुरू करना अनिवार्य है। यदि बंद कर देने के 1 माह के भीतर रियायतें शुरू नहीं की जाती हैं, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

ज. यदि भविष्य में केंद्र सरकार आरसीएस के अंतर्गत वीजीएफ में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ा देती है तो राज्य को व्यवस्था से अलग होने का अधिकार प्राप्त है।

4.2.3 कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के दायित्व

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से योजना के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होने के नाते एएआई, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :

क. एयरलाइन प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव स्वीकार करना तथा योजना के अनुरूप एयरलाइन प्रचालक के चयन हेतु पहचान करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करना;

ख. निधियों का संग्रहण और वितरण - योजना के अंतर्गत निधियों के संग्रहण और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस प्रयोजन के लिए पहचान किए गए बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोला जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी एस्क्रो खाते का प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत होगी और इसके पास इस योजना के अनुसार चयनित एयरलाइन प्रचालकों के लिए वीजीएफ के वितरण के लिए एस्क्रो खाते से निधियों में राशि जमा के साथ-साथ आहरण करने का प्राधिकार होगा।

ग. राज्य सरकार के उचित हिस्से की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का प्रबंध करना - एनसीएपी,2016 में दिए अनुसार, वीजीएफ का भुगतान आरसीएफ से चयनित एयरलाइन प्रचालकों को किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को उचित हिस्से (पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों में 20% जबकि वहां यह अनुपात 10% होगा) की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी प्रतिपूर्ति मांगने की इस प्रक्रिया का प्रबंध करेगी तथा प्रतिपूर्ति आय को एसक्रो खाते में जमा करेगी; और

घ. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए यथा निर्देशित कोई अन्य गतिविधियां।

4.3 एमओयू के अंतर्गत दायित्वों/रियायतों/सहायता का नियंत्रण योजना के अंतर्गत उल्लिखित आवश्यकताओं द्वारा किया जाएगा तथा योजना में संशोधनों के आधार पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

## 5 प्रारंभ और अवधि

5.1 एमओयू हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा तथा योजना की अवधि के पूरा होने तक वैध रहेगा अथवा इसके समाप्त करने के परस्पर करार से समाप्त होगा।

## 6 विविध

6.1 वैट/सेवा कर/उत्पाद शुल्क आदि योजना की अवधि और वीजीएफ सहायता की अवधि के दौरान यथा लागू प्रचलित कर व्यवस्था के अधीन होंगे। जीएसटी में परिवर्तनकाल के समय, दरें जीएसटी के अंतर्गत निर्धारण के अनुसार लागू होंगी तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा छूट/रियायतें केवल कानून के अंतर्गत दी जाएंगी।

6.2 प्रत्येक पार्टी अन्य पार्टियों को ऐसे सभी मामलों के बारे में सूचित करेगी, जो एमओयू के अंतर्गत पार्टियों के बीच विचारित अभिप्रेत सहयोग के कार्यान्वयनन तथा निष्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

**7 विधिक प्रणाली और मतभेदों का निपटान करना**

7.1 ज्ञापन हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए किसी प्रकार का अिधकार अथवा किसी प्रकार का विधिक बाध्यकारी दायित्व जनित नहीं करता है।

7.2 हस्ताक्षरकर्ता उन मतभेदों का परामर्श के द्वारा सहयोग और मित्रता की भावना से निपटान करेंगे जो इस ज्ञापन के उपयोग से उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके साक्षी, पार्टियों को यह ज्ञापन तीन (3) भागों में निष्पादित करना होगा तथा प्रत्येक भाग को उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मूल के तौर पर माना जाएगा।

द्वारा हस्ताक्षरित :

हस्ता/-
(**उषा पाढ़ी)**
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

हस्ता/-
**(शैलेंद्र सिंह)**
प्रमुख सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार सरकार

हस्ता/-
**(जी. के. चौकियाल**)
अध्यक्ष
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

# <u>समझौता ज्ञापन</u>

यह समझौता ज्ञापन (इसके पश्चात एमओयू)

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

और

पंजाब सरकार

तथा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

के बीच

दिनांक 14 जुलाई, 2017 को पटना में निष्पादित किया गया।

"नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार","पंजाब सरकार"और "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" को संयुक्त रूप से "पार्टियां" तथा व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" कहा जाएगा।

1. **परिभाषाएं- एमओयू में प्रयोग की गई शब्दावली का वही अर्थ है जैसा कि उसे नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान में परिभाषित किया गया है।**

**2. क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान**

2.1नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 (एनसीएपी 2016) जारी की है। एनसीएपी 2016 के दो प्रमुख उद्देश्य हैं "राजकोषीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाना" तथा "एकीकृत इको-प्रणाली स्थापित करना जिससे नागर विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा, बदले में जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार वृद्धि करेगा तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करेगा"। इस संबंध में, नागर विमानन मंत्रालय ने देश के लिए क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस अथवा योजना) की संकल्पना की है।

2.2 योजना का प्राथमिक उद्देश्य (1) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायत और (2) ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत और अनुमानित राजस्व के बीचे के अंतर, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर निधीयन या वीजीएफ) सहायता के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों को सहायता प्रदान करते हुए इसे वहनीय बना कर वायु संपर्कता को सुविधाजनक/प्रोत्साहित करना है।

2.3 जैसा कि एनसीएपी 2016 में प्रदान किया गया है, वीजीएफ का भुगतान कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा हितग्राहियों, अर्थात चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों को क्षेत्रीय संपर्कता निधि (आरसीएफ) से किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को लागू हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा।

2.4 योजना में रियायतें सृजित करने तथा वीजीएफ की अपनी लागू हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करने के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

2.5 योजना को केवल उन राज्यों तथा हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों (चाहे वे एएआई/राज्य सरकारों/निजी कंपनियों/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में हैं) में प्रचालनात्मक बनाया जाएगा जिन्होंने अपनी वचनबद्धता दर्शायी है तथा योजना के अंतर्गत अपेक्षित रियायतें प्रदान करते हुए रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों का समर्थन किया है।

2.6 योजना के अंतर्गत निधियों को एकत्र करने तथा उनका वितरण करने, वीजीएफ की उनकी हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करने और आरसीएफ में आय की प्रतिपूर्ति जमा करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी की होगी।

अब इसलिए यह समझौता ज्ञापन निम्नानुसार है :

**3 एमओयू का उद्देश्य**

3.1 सभी पार्टियां योजना के संवर्धन में प्रयास एवं सहायता करेंगी तथा इसे सफल बनाएंगी।

3.2 पार्टियां अपनी वचनबद्धता को पूरा करेंगी आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों की सहायता करेंगी।

3.3 राज्य सरकार आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित वीजीएफ के लिए अपनी समयबद्ध और सम्पूर्ण प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगी।

3.4 सभी पार्टियां सहभागिता बढ़ाने तथा योजना के अंतर्गत समयबद्ध प्रचालन आरंभ करने के लिए आसान और तवरित अनुमोदन प्रदान करने में सभी संभव प्रयास करेंगी।

3.5 पार्टियां योजना के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

3.6 पार्टियां अच्छी भावना के साथ एमओयू के अंतर्गत अपनी-अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करेंगी।

3.7 इस एमओयू में आरसीएस-उड़ान के अनुसार क्षेत्रीय वायु संपर्कता को बढ़ाने के संबंध में पार्टियों के सहयोग और प्रतिबद्धता/सहायता के क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

**4 एमओयू का कार्यक्षेत्र**

4.1 एनसीएपी 2016 में की गई परिकल्पना के अनुसार, योजना का प्रचालन बाजार तंत्र के अनुसार होगा जहां एयरलाइन प्रचालक मार्गों पर मांग का मूल्यांकन करेंगे; ऐसे मार्ग (मार्गों) पर प्रचालन/ संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे; कुछ न्यूनतम प्रचालन शर्तो का पालन करते हुए वीजीएफ, यदि कोई है, की मांग करेंगे; और योजना के यथा प्रदत्त अन्य बाजार सहभागियों के साथ बातचीत कर इसे अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। चयनित एयरलाइन प्रचालक को योजना के अंतर्गत प्रचालन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से रियायतें और समर्थन दिया जाएगा।

4.2 पार्टियां अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगी तथा निम्नानुसार योजना के अंतर्गत रियायतें/सहायता प्रदान करेंगी :

4.2.1 केंद्र सरकार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से योजना का प्रबंध करेगी तथा निम्नलिखित सहायता/रियायतें प्रदान करेगी :

क. केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत वीजीएफ का अपना हिस्सा प्रदान करेगी जो पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा राज्यों की कुल आवश्यकता का 80% होगा जबकि वहां के लिए यह 90% होगा।

ख. केंद्र सरकार योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से चयनित एयरलाइन प्रचालक द्वारा खरीदे गए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क की वसूली करेगी।

ग. केन्द्रीय सरकार घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ विद्यमान विमान सेवा करारों के अुनसार कोड शेयरिंग व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए चुनिंदा एयरलाइन प्रचालकों को अनुमति प्रदान करेगी।

घ. केंद्र सरकार टिकटों पर सेवाकर पर रियायतें प्रदान करेगी अर्थात, योजना की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए करयोग्य मूल्य के 90% पर सेवाकर का उपशमन।

4.2.2 राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रशासन निम्नलिखित रियायतें प्रदान करेगी :-

क. राज्य सरकार 10 वर्षों की अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ में वैट को 1% अथवा कम करने पर विचार करेगी;

ख. राज्य सरकार आवश्यक होने पर प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य की वर्तमान नीति के आधार पर उचित विचार करने के बाद आरसीएस हवाईअड्डों के विकास और

विस्तार के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त न्यूनतम भूमि प्रदान करेगी। राज्य सरकार जरूरत के अनुसार बहु मॉडल हिनटरलैंड संपर्कता (सड़क, रेल, मेट्रो, जलमार्ग आदि) भी उपलब्ध कराएगी;

ग. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर नि:शुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं भी प्रदान करेगी, उन स्थानों को छोड़कर जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जा रही हैं;

घ. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर रियायती दरों पर बिजली, पानी तथा अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करेगी अथवा प्रदान कराएगी; और

ङ. राज्य सरकार इस योजना के अनुसार निर्धारित वीजीएफ के लिए यथा लागू (अन्य राज्यों के लिए 20% तथा पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 10% होगा) एक निश्चित हिस्सेदारी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मांग किए जाने के 3 माह के भीतर राज्य सरकार अपने वीजीएफ हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें नोटिस भेजने के 1 माह के भीतर प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा न किए जाने पर, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

च. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस योजनाके अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे प्रोत्साहनों के अतिरिक्त सीटों की अंडर-राइटिंग आदि सहित अतिरिक्त प्रोत्साहनों को देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया गया है।

छ. राज्य सरकार को एनसीएपी, 2016 में दिए अनुसार रियायतें जारी रखने की आवश्यकता होगी। योजना की अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार रियायतें प्रदान करना रोक देती है, उसे तत्काल रियायतें शुरू करना अनिवार्य है। यदि बंद कर देने के 1 माह के भीतर रियायतें शुरू नहीं की जाती हैं, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

### 4.2.3 कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के दायित्व

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से योजना के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होने के नाते भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :

क. एयरलाइन प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव स्वीकार करना तथा योजना के अनुरूप एयरलाइन प्रचालक के चयन हेतु पहचान करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करना;

ख. निधियों का संग्रहण और वितरण - योजना के अंतर्गत निधियों के संग्रहण और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस प्रयोजन के लिए पहचान किए गए बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोला जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी एस्क्रो खाते का प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत होगी और इसके पास इस योजना के अनुसार चयनित एयरलाइन प्रचालकों के लिए वीजीएफ के वितरण के लिए एस्क्रो खाते से निधियों में राशि जमा के साथ-साथ आहरण करने का प्राधिकार होगा।

ग. राज्य सरकार के उचित हिस्से की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का प्रबंध करना - एनसीएपी,2016 में दिए अनुसार, वीजीएफ का भुगतान आरसीएफ से चयनित एयरलाइन प्रचालकों को किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को उचित हिस्से (पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों में 20% जबकि वहां यह अनुपात 10% होगा) की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी प्रतिपूर्ति मांगने की इस प्रक्रिया का प्रबंध करेगी तथा प्रतिपूर्ति आय को एसक्रो खाते में जमा करेगी; और

घ. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए यथा निर्देशित कोई अन्य गतिविधियां।

4.3 एमओयू के अंतर्गत दायित्वों/रियायतों/सहायता का नियंत्रण योजना के अंतर्गत उल्लिखित आवश्यकताओं द्वारा किया जाएगा तथा योजना में संशोधनों के आधार पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

**5 प्रारंभ और अवधि**

5.1एमओयू हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा तथा योजना की अवधि के पूरा होने तक वैध रहेगा अथवा इसके समाप्त करने के परस्पर करार से समाप्त होगा।

**6 विविध**

6.1 वैट/सेवा कर/उत्पाद शुल्क आदि योजना की अवधि और वीजीएफ सहायता की अवधि के दौरान यथा लागू प्रचलित कर व्यवस्था के अधीन होंगे। जीएसटी में परिवर्तनकाल के समय, दरें जीएसटी के अंतर्गत निर्धारण के अनुसार लागू होंगी तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा छूट/रियायतें केवल कानून के अंतर्गत दी जाएंगी।

6.2 प्रत्येक पार्टी अन्य पार्टियों को ऐसे सभी मामलों के बारे में सूचित करेगी, जोइस एमओयू के अंतर्गत पार्टियों के बीच विचारित अभिप्रेत सहयोग के कार्यान्वयनन तथा निष्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

**7 विधिक प्रणाली और मतभेदों का निपटान करना**

7.1 ज्ञापन हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए किसी प्रकार का अिधकार अथवा किसी प्रकार का विधिक बाध्यकारी दायित्व जनित नहीं करता है।

7.2 हस्ताक्षरकर्ता उन मतभेदों का परामर्श के द्वारा सहयोग और मित्रता की भावना से निपटान करेंगे जो इस ज्ञापन के उपयोग से उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके साक्षी, पार्टियों को यह ज्ञापन तीन (3) भागों में निष्पादित करना होगा तथा प्रत्येक भाग को उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मूल के तौर पर माना जाएगा।

द्वारा हस्ताक्षरित :

हस्ता/-
**(उषा पाढ़ी)**
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
हस्ता/-
**(तेजवीर सिंह)**
सचिव (नागर विमानन)
पंजाब सरकार
हस्ता/-
**(जी के चौकियाल)**
कार्यपालक निदेशक (आरसीएस प्रकोष्ठ)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

**<u>समझौता ज्ञापन</u>**

यह समझौता ज्ञापन (इसके पश्चात एमओयू)

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

और

केरल सरकार

तथा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

के बीच

दिनांक 27 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में निष्पादित किया गया।

''केरल सरकार'',''नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार'' और ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण'' को संयुक्त रूप से ''पार्टियां'' तथा व्यक्तिगत रूप से ''पार्टी'' कहा जाएगा।

1. **परिभाषाएं- एमओयू में प्रयोग की गई शब्दावली का वही अर्थ है जैसा कि उसे नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान में परिभाषित किया गया है।**
2. **क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़ान**

2.1 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 (एनसीएपी 2016) जारी की है। एनसीएपी 2016 के दो प्रमुख उद्देश्य हैं ''राजकोषीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाना'' तथा ''एकीकृत इको-प्रणाली स्थापित करना जिससे नागर विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा, बदले में जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार वृद्धि करेगा तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करेगा''। इस संबंध में, नागर विमानन मंत्रालय ने देश के लिए क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस अथवा योजना) की संकल्पना की है।

2.2 योजना का प्राथमिक उद्देश्य (1) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायत और (2) ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत और अनुमानित राजस्व के बीचे के अंतर, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर निधीयन या वीजीएफ) सहायता के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों को सहायता प्रदान करते हुए इसे वहनीय बना कर वायु संपर्कता को सुविधाजनक/प्रोत्साहित करना है।

2.3 जैसा कि एनसीएपी 2016 में प्रदान किया गया है, वीजीएफ का भुगतान कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा हितग्राहियों, अर्थात चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों को क्षेत्रीय संपर्कता निधि (आरसीएफ) से किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को लागू हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा।

2.4 योजना में रियायतें सृजित करने तथा वीजीएफ की अपनी लागू हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करने के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

2.5 योजना को केवल उन राज्यों तथा हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों (चाहे वे एएआई/राज्य सरकारों/निजी कंपनियों/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में हैं) में प्रचालनात्मक बनाया जाएगा जिन्होंने अपनी वचनबद्धता दर्शायी है तथा योजना के अंतर्गत अपेक्षित रियायतें प्रदान करते हुए रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों का समर्थन किया है।

2.6 योजना के अंतर्गत निधियों को एकत्र करने तथा उनका वितरण करने, वीजीएफ की उनकी हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करने और आरसीएफ में आय की प्रतिपूर्ति जमा करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी की होगी।

अब इसलिए यह समझौता ज्ञापन निम्नानुसारहै :

**3. एमओयू का उद्देश्य**

3.1 सभी पार्टियां योजना के संवर्धन में प्रयास एवं सहायता करेंगी तथा इसे सफल बनाएंगी।

3.2 पार्टियां अपनी वचनबद्धता को पूरा करेंगी आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित रियायतें प्रदान कर क्षेत्रीय वायु परिवहन प्रचालनों की सहायता करेंगी।

3.3 राज्य सरकार आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत यथापेक्षित वीजीएफ के लिए अपनी समयबद्ध और सम्पूर्ण प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगी।

3.4 सभी पार्टियां सहभागिता बढ़ाने तथा योजना के अंतर्गत समयबद्ध प्रचालन आरंभ करने के लिए आसान और तवरित अनुमोदन प्रदान करने में सभी संभव प्रयास करेंगी।

3.5 पार्टियां योजना के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

3.6 पार्टियां नेकनीयती के साथ एमओयूके अंतर्गत अपनी-अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करेंगी।

3.7 इस एमओयू में आरसीएस-उड़ान के अनुसार क्षेत्रीय वायु संपर्कता को बढ़ाने के संबंध में पार्टियों के सहयोग और प्रतिबद्धता/सहायता के क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

**4. एमओयू का कार्यक्षेत्र**

4.1 एनसीएपी 2016 में की गई परिकल्पना के अनुसार, योजना का प्रचालन बाजार तंत्र के अनुसार होगा जहां एयरलाइन प्रचालक मार्गों पर मांग का मूल्यांकन करेंगे; ऐसे मार्ग (र्गों) पर प्रचालन/ संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे; कुछ न्यूनतम प्रचालन शर्तो का पालन करते हुए वीजीएफ, यदि कोई है, की मांग करेंगे; और योजना के यथा प्रदत्त अन्य बाजार सहभागियों के साथ बातचीत कर इसे अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। चयनित एयरलाइन प्रचालक को योजना के अंतर्गत प्रचालन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से रियायतें और समर्थन दिया जाएगा।

4.2 पार्टियां अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगी तथा निम्नानुसार योजना के अंतर्गत रियायतें/सहायता प्रदान करेंगी :

4.2.1 केंद्र सरकार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से योजना का प्रबंध करेगी तथा निम्नलिखित सहायता/रियायतें प्रदान करेगी :

क. केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत वीजीएफ का अपना हिस्सा प्रदान करेगी जो पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा राज्यों की कुल आवश्यकता का 80% होगा जबकि वहां के लिए यह 90% होगा।

ख. केंद्र सरकार योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से चयनित एयरलाइन प्रचालक द्वारा खरीदे गए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क की वसूली करेगी।

ग. केंद्र सरकार को चयनित एयरलाइन प्रचालकों को अंतर्देशीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ भी मौजूदा हवाई सेवा अनुबंधों के अनुसार कोड शेयरिंग की अनुमति देनी होगी।

घ. केंद्र सरकार टिकटों पर सेवाकर पर रियायतें प्रदान करेगी अर्थात, योजना की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्षकी आरंभिक अवधि के लिए करयोग्य मूल्य के 90% पर सेवाकर का उपशमन।

4.2.2 राज्य सरकार/ यूटी प्रशासन निम्नलिखित रियायतें प्रदान करता है :-

क. राज्य सरकार 10 वर्षों की अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ में वैट को 1 प्रतिशत या इससे कम करने पर विचार करेगी;

ख. राज्य सरकार आवश्यक होने पर मामला दर मामला आधार पर राज्य की वर्तमान नीति के अनुसार उचित विचार करने के पश्चात आरसीएस हवाईअड्डों के विकास और विस्तार के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त न्यूनतम भूमि प्रदान करेगी। राज्य सरकार जरूरत के अनुसार बहु मॉडल हिनटरलैंड संपर्कता (सड़क, रेल, मेट्रो, जलमार्ग आदि) भी उपलब्ध कराएगी;

ग. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर नि:शुल्क सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं भी प्रदान करेगी;

घ. राज्य सरकार आरसीएस हवाईअड्डों पर रियायती दरों पर बिजली, पानी तथा अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करेगी अथवा प्रदान कराएगी; और

ङ. राज्य सरकार इस योजना के अनुसार निर्धारित वीजीएफ के लिए यथा लागू (अन्य राज्यों के लिए 20 प्रतिशत तथा पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 10 प्रतिशत होगा) एक निश्चित हिस्सेदारी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मांग किए जाने के 3 माह के भीतर राज्य सरकार अपने वीजीएफ हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें नोटिस भेजने के 1 माह के भीतर प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा न किए जाने पर, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए योजना के अंतर्गत किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

च. केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली रियायतों के अतिरिक्त, सीटों की अंडरराइटिंग सहित अतिरिक्त रियायतें देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया गया है।

छ. राज्य सरकार को एनसीएपी, 2016 और योजना दस्तावेज़ में दिए अनुसार रियायतें जारी रखने की आवश्यकता होगी। योजना की अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार रियायतें प्रदान करना रोक देती है, उसे तत्काल रियायतें शुरू करना अनिवार्य है। यदि बंद कर देने के 1 माह के भीतर रियायतें शुरू नहीं की जाती हैं, केंद्र सरकार/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी योजना के अंतर्गत राज्य से हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए किसी अन्य आरसीएस प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।

### 4.2.3 कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के दायित्व

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से योजना के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होने के नाते एएआई, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :

क. एयरलाइन प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव स्वीकार करना तथा योजना के अनुरूप एयरलाइन प्रचालक के चयन हेतु पहचान करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करना;

ख. निधियों का संग्रहण और वितरण - योजना के अंतर्गत निधियों के संग्रहण और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस प्रयोजन के लिए पहचान किए गए बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोला जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी एस्क्रो खाते का प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत होगी और इसके पास इस योजना के अनुसार चयनित एयरलाइन प्रचालकों के लिए वीजीएफ के वितरण के लिए एस्क्रो खाते से निधियों में राशि जमा के साथ-साथ आहरण करने का प्राधिकार होगा।

ग. राज्य सरकार के उचित हिस्से की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का प्रबंध करना - एनसीएपी,2016 में दिए अनुसार, वीजीएफ का भुगतान आरसीएफ से चयनित एयरलाइन प्रचालकों को किया जाएगा तथा राज्य सरकारों को उचित हिस्से (पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों में 20% जबकि वहां यह अनुपात 10% होगा) की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी प्रतिपूर्ति मांगने की इस प्रक्रिया का प्रबंध करेगी तथा प्रतिपूर्ति आय को एसक्रो खाते में जमा करेगी; और

घ. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए यथा निर्देशित कोई अन्य गतिविधियां।

4.3 एमओयू के अंतर्गत दायित्वों/रियायतों/सहायता का नियंत्रण योजना के अंतर्गत उल्लिखित आवश्यकताओं द्वारा किया जाएगा तथा योजना में संशोधनों के आधार पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

**5. प्रारंभ और अवधि**

5.1 एमओयू हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा तथा योजना की अवधि के पूरा होने तक वैध रहेगा अथवा इसके समाप्त करने के परस्पर करार से समाप्त होगा।

**6. विविध**

6.1 वैट/सेवा कर/उत्पाद शुल्क आदि योजना की अवधि और वीजीएफ सहायता की अवधि के दौरान यथा लागू प्रचलित कर व्यवस्था के अधीन होंगे। जीएसटी में परिवर्तनकाल के समय, दरें जीएसटी के अंतर्गत निर्धारण के अनुसार लागू होंगी तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा छूट/रियायतें केवल कानून के अंतर्गत दी जाएंगी।

6.2 प्रत्येक पार्टी अन्य पार्टियों को ऐसे सभी मामलों के बारे में सूचित करेगी, जो एमओयू के अंतर्गत पार्टियों के बीच विचारित अभिप्रेत सहयोग के कार्यान्वयनन तथा निष्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

**7. विधिक प्रणाली और मतभेदों का निपटान करना**

7.1 यह ज्ञापन हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए किसी प्रकार का अधिकार अथवा किसी प्रकार का विधिक बाध्यकारी दायित्व जनित नहीं करता है।

7.2 हस्ताक्षरकर्ता उन मतभेदों का परामर्श के द्वारा सहयोग और मित्रता की भावना से निपटान करेंगे जो इस ज्ञापन के उपयोग से उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके साक्षी, पार्टियों को यह ज्ञापन तीन (3) भागों में निष्पादित करना होगा तथा प्रत्येक भाग को उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मूल के तौर पर माना जाएगा।

द्वारा हस्ताक्षरित :

**(उषा पाढ़ी)**
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय,भारत सरकार

**(बिस्वनाथ सिन्हा)**
प्रमुख सचिव
केरल सरकार

**(डॉ. गुरूप्रसाद मोहापात्रा)**
अध्यक्ष
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण